प्रेषक,

शिव गोपाल सिंह
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

पुलिस महानिदेशक/महानिरीक्षक,
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-2 लखनऊ: दिनांक 24 फरवरी, 2025

विषय:- जिला कारागार, इटावा में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी विनय तिवारी उर्फ त्यागी पुत्र श्री महेश चन्द्र त्यागी, निवासी जनपद-औरैया की फार्म-ए के आधार पर समयपूर्व रिहाई के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अधीक्षक(मु0), कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें, उ0प्र0 के पत्र संख्या-16469/प्रोबेशन-3-फार्म-ए/(एम-05.04.2024), दिनांक 10.06.2024 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें।

-2 उक्त पत्र द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्तावानुसार जिला कारागार, इटावा में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी विनय तिवारी उर्फ त्यागी पुत्र महेश चन्द्र त्यागी निवासी- रेलवे फाटक बेला रोड, थाना-दिबियापुर, जिला-औरैया का निवासी है। अवैध धन वसूली व बिल न भुगतान करने की रंजिश को लेकर दिनाँक 23/24.12.2008 की रात्रि को बन्दी ने 09 सहअभियुक्तों के साथ मिलकर अधिशाषी अभियन्ता मनोज कुमार गुप्ता नामक व्यक्ति का अपहरण कर डन्डे, कोडा व तार से मारकर हत्या कर दी। उक्त अपराध हेतु (1)- बन्दी को सत्र परीक्षण संख्या-446/2009, भा0द0वि0 की धारा-147, 302/149,364/149, 342/149, 201/149, 458/149 व 7 सीएलए एक्ट/149 में मा0 विशेष अपर जिला एवं न्यायाधीश, सी.बी.आई. (अयोध्या प्रकरण), लखनऊ के आदेश दिनाँक 06.05.2011 द्वारा आजीवन कारावास से दण्डित किया गया। मा0 उच्च न्यायालय, लखनऊ के आदेश दिनाँक 23.02.2015 द्वारा बन्दी की अपील निर्णीत करते हुए आजीवन कारावास की सजा को यथावत रखा गया। 2-एस0टी0 नं0-71/2009, भा0द0वि0 की धारा-306 में मा0 न्यायालय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश कोर्ट सं0-1 औरैया के आदेश दिनांक 17-06-2016 द्वारा 07 वर्ष सश्रम कारावास। बन्दी द्वारा दिनांक 01-02-2023 तक अपरिहार 14 वर्ष, 01 माह, 07 दिन तथा सपरिहार 17 वर्ष, 03 माह, 07 दिन की सजा पूरी कर ली है।

जिला प्रोबेशन अधिकारी, पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट, औरैया द्वारा मा0 उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्दिष्ट 05 बिन्दुओं (जो लक्ष्मण नास्कर बनाम यूनियन ऑफ इंडिया, 2000 कि०एल०जे० 1471 में मा० उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्देशित किया गया) पर परीक्षण कर आख्या प्रेषित की गई है। की आख्या में बन्दी का अपराध समाज को व्यापक रूप से प्रभावित करने, भविष्य में पुन: अपराध करने का अवसर होने, पुन: अपराध करने में अशक्त नहीं होने, जेल में आगे निरूद्ध रखने का सार्थक प्रयोजन होने, बन्दी के परिवार की सामाजिक, आर्थिक दशा सामान्य होने का अंकन करते हुए समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नही की गयी है।

सिद्धदोष बंदी विनय तिवारी उर्फ त्यागी पुत्र महेश चन्द्र तिवारी की फार्म-ए के आधार पर समयपूर्व रिहाई पर विचार-विमर्श किया गया। बोर्ड के सदस्यों का अभिमत है कि अवैध धन वसूली व बिल न भुगतान करने की रंजिश को लेकर दिनाँक 23/24.12.2008 की रात्रि को बन्दी ने 09 सहअभियुक्तों के साथ मिलकर अधिशाषी अभियन्ता मनोज कुमार गुप्ता नामक व्यक्ति का अपहरण कर डन्डे, कोडा व तार से मारकर हत्या करने का जघन्य अपराध कारित किया गया है। इस तरह के अपराधियों की समयपूर्व रिहाई से समाज में न्यायिक प्रणाली के बारे में विपरीत संदेश जाएगा। बन्दी का अपराध समाज को प्रभावित करने, पुनः अपराध करने में अशक्त न होने का अंकन जनपदीय अधिकारियों द्वारा निर्दिष्ट 05 बिन्दुओं की आख्या में किया गया है। इस प्रकार बन्दी द्वारा किये गये अपराध की गम्भीरता एवं जघन्यता, जिला प्रोबेशन अधिकारी, पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट द्वारा मा0 उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्दिष्ट 05 बिन्दुओं की आख्या में समयपूर्व रिहाई का विरोध किये जाने के दृष्टिगत प्रिजनर्स रिलीज आंन प्रोबेशन एक्ट-1938 की धारा-2 के अन्तर्गत सिद्धदोष बंदी विनय तिवारी उर्फ त्यागी पुत्र महेश चन्द्र तिवारी की फार्म-ए / लाईसेंस के आधार पर रिहा किये जाने की संस्तुति नही की गयी है।

3- अतः उपरोक्त वर्णित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में मुझे यह सूचित करने का निदेश हुआ है कि जिला कारागार इटावामें निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी विनय तिवारी उर्फ त्यागी (बन्दी संख्या-3018/2011) पुत्र महेश चन्द्र त्यागी, निवासी

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

जनपद-औरैया की यू0पी0 प्रिजनर्स रिलीज ऑन प्रोबेशन एक्ट-1938 की धारा-2 के प्राबिधानों के अन्तर्गत सम्यक विचारोपरान्त उसे मुक्ति का पात्र नहीं पाया गया है। अतएव उक्त बन्दी के लाईसेन्स पर मुक्ति मा0 राज्यपाल महोदया द्वारा अस्वीकार कर दी गयी है। तद्नुसार उसके फार्म-ए/लाईसेंस पर शासन का आदेश अंकित करके एतदद्वारा वापस लौटाया जा रहा है। कृपया प्राप्ति स्वीकार करते हुए शासन के निर्णय से बन्दी को तत्काल अवगत कराने का कष्ट करें।

संलग्नकः यथोपरि।

(बन्दी का फार्म-ए एवं समस्त पत्रादि सहित)

भवदीय,

शिव गोपाल सिंह
संयुक्त सचिव।

संख्या-164/2025/909/22-2-2024-17(442)/2024,तद्दिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- जिला मजिस्ट्रेट, औरैया।
2- अधीक्षक, जिला कारागार, इटावा।
3- निजी सचिव, मा0 मंत्री, कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग, उ0प्र0 शासन को मा0 मंत्री जी के सूचनार्थ।
4- निजी सचिव, मा0 राज्यमंत्री, कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग, उ0प्र0 शासन को मा0 मंत्री जी के सूचनार्थ।
5- नोडल अधिकारी/अधीक्षक जिला कारागार गाजियाबाद को मा0 उच्चतम न्यायालय नई दिल्ली में योजित विशेष अनुज्ञा याचिका (क्रि0) डायरी सं0-28783/2023 सुरेन्द्र उर्फ सुण्डा बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य में मा0 उच्चतम न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 13-11-2024 के सन्दर्भ में।
6- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
ममता श्रीवास्तव
संयुक्त सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

शासनादेश संख्या-164/2025/909/22-2-2024-17(442)/2024

दिनांकः 24 फरवरी, 2025 का संलग्नक

सरकार के आदेश

जिला कारागार, इटावा में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी विनय तिवारी उर्फ त्यागी पुत्र महेश चन्द्र त्यागी निवासी- रेलवे फाटक बेला रोड, थाना-दिबियापुर, जिला-औरैया का निवासी है। अवैध धन वसूली व बिल न भुगतान करने की रंजिश को लेकर दिनाँक 23/24.12.2008 की रात्रि को बन्दी ने 09 सहअभियुक्तों के साथ मिलकर अधिशाषी अभियन्ता मनोज कुमार गुप्ता नामक व्यक्ति का अपहरण कर डन्डे, कोडा व तार से मारकर हत्या कर दी। उक्त अपराध हेतु (1)- बन्दी को सत्र परीक्षण संख्या-446/2009, भा0द0वि0 की धारा-147, 302/149,364/149, 342/149, 201/149, 458/149 व 7 सीएलए एक्ट/149 में मा0 विशेष अपर जिला एवं न्यायाधीश, सी.बी.आई. (अयोध्या प्रकरण), लखनऊ के आदेश दिनाँक 06.05.2011 द्वारा आजीवन कारावास से दण्डित किया गया। मा0 उच्च न्यायालय, लखनऊ के आदेश दिनाँक 23.02.2015 द्वारा बन्दी की अपील निर्णीत करते हुए आजीवन कारावास की सजा को यथावत रखा गया। 2-एस0टी0 नं0-71/2009, भा0द0वि0 की धारा-306 में मा0 न्यायालय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश कोर्ट सं0-1 औरैया के आदेश दिनांक 17-06-2016 द्वारा 07 वर्ष सश्रम कारावास। बन्दी द्वारा दिनांक 01-02-2023 तक अपरिहार 14 वर्ष, 01 माह, 07 दिन तथा सपरिहार 17 वर्ष, 03 माह, 07 दिन की सजा पूरी कर ली है।

जिला प्रोबेशन अधिकारी, पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट, औरैया द्वारा मा0 उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्दिष्ट 05 बिन्दुओं (जो लक्ष्मण नास्कर बनाम यूनियन ऑफ इंडिया, 2000 कि०एल०जे० 1471 में मा० उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्देशित किया गया) पर परीक्षण कर आख्या प्रेषित की गई है। की आख्या में बन्दी का अपराध समाज को व्यापक रूप से प्रभावित करने, भविष्य में पुन: अपराध करने का अवसर होने, पुन: अपराध करने में अशक्त नहीं होने, जेल में आगे निरूद्ध रखने का सार्थक प्रयोजन होने, बन्दी के परिवार की सामाजिक, आर्थिक दशा सामान्य होने का अंकन करते हुए समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नही की गयी है।

सिद्धदोष बंदी विनय तिवारी उर्फ त्यागी पुत्र महेश चन्द्र तिवारी की फार्म-ए के आधार पर समयपूर्व रिहाई पर विचार-विमर्श किया गया। बोर्ड के सदस्यों का अभिमत है कि अवैध धन वसूली व बिल न भुगतान करने की रंजिश को लेकर दिनाँक 23/24.12.2008 की रात्रि को बन्दी ने 09 सहअभियुक्तों के साथ मिलकर अधिशाषी अभियन्ता मनोज कुमार गुप्ता नामक व्यक्ति का अपहरण कर डन्डे, कोडा व तार से मारकर हत्या करने का जघन्य अपराध कारित किया गया है। इस तरह के अपराधियों की समयपूर्व रिहाई से समाज में न्यायिक प्रणाली के बारे में विपरीत संदेश जाएगा। बन्दी का अपराध समाज को प्रभावित करने, पुनः अपराध करने में अशक्त न होने का अंकन जनपदीय अधिकारियों द्वारा निर्दिष्ट 05 बिन्दुओं की आख्या में किया गया है। इस प्रकार बन्दी द्वारा किये गये अपराध की गम्भीरता एवं जघन्यता, जिला प्रोबेशन अधिकारी, पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट द्वारा मा0 उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्दिष्ट 05 बिन्दुओं की आख्या में समयपूर्व रिहाई का विरोध किये जाने के दृष्टिगत प्रिजनर्स रिलीज आंन प्रोबेशन एक्ट-1938 की धारा-2 के अन्तर्गत सिद्धदोष बंदी विनय तिवारी उर्फ त्यागी पुत्र महेश चन्द्र तिवारी की फार्म-ए / लाईसेंस के आधार पर रिहा किये जाने की संस्तुति नही की गयी है।

उक्त के दृष्टिगत सम्यक विचारोपरान्त मा0 राज्यपाल महोदया द्वारा बंदी की फार्म-ए / लाईसेंस के आधार पर समयपूर्व रिहाई अस्वीकार कर दी गयी है।

शिव गोपाल सिंह
संयुक्त सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in